पंजाब राज्य

बनाम

अनिल कुमार

25 अप्रैल, 2007

श्रम कानूनः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: सेवा में बहाली-बकाया मजदूरी- श्रमिक दैनिक मजदूरी पर कार्यरत, सेवा समाप्ति-13 साल बाद निर्देश की मांग की गई--श्रम न्यायालय द्वारा द्वारा 40% बकाया मजदूरी के भुगतान के साथ सेवा में बहाली का अधिनिर्णय जारी - उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार किया-अभिनिर्धारित: चूंकि उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि श्रमिक 240 दिन काम कर चुका है, बहाली का आदेश यथावत-हालाँकि, 13 वर्षों के बाद श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया, जिसके लिए बकाया मजदूरी के भुगतान का निर्देश अपास्त किया गया है-विलंब/विलम्ब।

प्रत्यर्थी, अपीलार्थी राज्य के रोडवेज में विशिष्ट समायावधि 6.2.1981 से 30.9.1985 के मध्य दैनिक मजदूरी पर कार्यरत था-इसके बाद उसे नहीं रखा गया। प्रत्यर्थी ने उसे सेवा में निरन्तर रखने के लिए एक के बाद एक दो सिविल मुकदमे दायर किये। हालाँकि, अपीलीय स्तर पर दोनों वाद उसके द्वारा वापस ले लिये गये। इसके बाद एक डिमांड नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत, अपीलार्थी को

दिनांक 20.9.1998 को भेजा गया, और मामला श्रम न्यायालय को निर्देशित किया गया, जिसने निर्णय दिनांक 12.11.2003 पारित किया और प्रत्यर्थी को दिनांक 20.9.1998 से 40% बकाया मजदूरी के भुगतान के साथ बहाल करने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी ने दिनांक 1.4.2005 को कार्यभार ग्रहण किया। रिट याचिका -अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर्मचारी ने अपनी सेवा से बर्खास्तगी से पहले 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था।

राज्य सरकार की ओर से दायर अपील में यह तर्क दिया गया कि, चूंकि प्रतिवादी निश्चित अवधि के लिए कार्य पर लगाया हुआ था, इसलिए उसकी बहाली का निर्देश नहीं दिया जा सकता था। निर्देश की मांग 13 साल देरी से की गई थी।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जो उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया है, में कोई त्रुटि नहीं है। जहां तक प्रत्यर्थी-श्रमिक के पुनः बहाली का हकदार होने का प्रश्न है, इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि देर से श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गई। स्वीकृत रुप से 13 साल बाद श्रम न्यायालय का रुख किया गया। मामले की उक्त परिस्थितियों में

बकाया मजदूरी का भुगतान करने के दिये गये निर्देश को अपास्त किया जाता है।

(पैरा 11 और 14)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2139/2007

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 6927/2005 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 05.05.2005 के विरुद्घ

आर.के. रोठौड., एम.के. वर्मा और संजय जैन- अपीलार्थी की ओर से

रनबीर सिंह यादव और समीर कुमार श्रीवास्तव- प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ० अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया।

1 अनुमति दी गई।

2 इस अपील में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को संक्षिप्त रुप से खारिज किये जाने को चुनौती दी गई।

3 संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैंः-

प्रत्यर्थी, पंजाब रोडवेज, जालंधर डिपो में दिनांक 6.2.1981 से दैनिक-मजदूरी के आधार पर कार्यरत था। उसने इसी आधार पर जालंधर

डिपो संख्या 2 में दिनांक 15.9.1981 से 27.12.1981 तक कार्य किया। उसके बाद, वह पंजाब रोडवेज, मोगा में दैनिक-मजदूरी के आधार पर दिनांक 16.2.1983 से 30.9.1985 तक कार्य किया। उसे विशिष्ट अवधि के लिए कार्य पर लगाया गया था। चूंकि पंजाब रोडवेज, मोगा में प्रत्यर्थी के लिए कोई कार्य नहीं था, इसलिए उसे दिनांक 30.9.1985 के बाद काम पर नहीं रखा था।

4 प्रत्यर्थी ने सिविल न्यायालय जालंधर में यह कहते हुए सिविल वाद पेश किया कि वह निरन्तर सेवा में था। विद्वान सिविल न्यायालय ने वाद डिक्री किया और अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी का कर्मचारी माना जावे और वह वाद पेश करने की दिनांक से बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।

5 अपीलार्थी द्वारा जिला न्यायाधीश, जालंधर के न्यायालय में सिविल अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थी द्वारा वाद को वापस ले लिया गया, इसलिए दिनांक 9.02.1991 के निर्णय व डिक्री का प्रभाव समाप्त हो गया। दिनांक 9.05.1994 को प्रत्यर्थी ने दिनांक 05.02.1981 से पँजाब रोडवेज में सेवाएं नियमित घोषित करने के लिए पुनः सिविल वाद पेश किया। उक्त वाद सिविल न्यायाधीश (कनि.खण्ड) द्वारा दिनांक 12.10.1996 को खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने जिला न्यायाधीश,

जालंधर के न्यायालय में अपील पेश की। उक्त अपील पुनः दिनांक 17.09.1998 को वापस ले ली गई।

6 प्रत्यर्थी ने दिनांक 29.09.1998 को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षिप्त में 'अधिनियम') के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलार्थी को एक मांग पत्र भेजा। मामला अधिनियम के तहत निर्णत करने के लिए श्रम न्यायालय, जालंधर को निर्दिष्ट किया गया। अपीलार्थी ने आरम्भिक आपत्तियां उठाते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किये कि (क) निर्देश देरी से पेश करने के कारण बाधित है, (ख) हटाया जाना युक्तियुक्त था और (ग) अपीलार्थी ने पहले से ही सिविल न्यायालय के समक्ष अवसर का प्रयोग कर लिया है। श्रम न्यायालय, जालंधर ने प्रत्यर्थी की बहाली का निर्देश देने के साथ-साथ मांग पत्र की दिनांक 29.09.1998 से बकाया मजदूरी के 40 प्रतिशत का भुगतान करने का अधिनिर्णिय पारित किया। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को दिनांक 12.11.2003 के अधिनिर्णय की पालना करने के लिए निर्देशित करने हेतु एक रिट याचिका संख्या 4748/2005 प्रस्तुत की। उसने दिनांक 01.04.2005 को कर्त्तव्य पर उपस्थिति दी।

7 अपीलार्थी ने भी रिट याचिका संख्या 6927/2005 उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की।

8 उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि श्रमिक की सेवाएं समाप्त

किये जाने ने से पूर्व 240 दिन से अधिक अवधि तक श्रमिक ने कार्य किया है। इसलिए श्रम न्यायालय द्वारा पारित अधिनिर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं।

9 अपनी अपील के समर्थन में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दायर किया गया दीवानी मुकदमा पूरी तरह से गलत था। अधिनियम की धारा 2(oo)(bb) के अनुसार निश्चित अवधि के लिए कार्य पर लगाया गया है तो उक्त अवधि के पूर्ण होने के पश्चात बहाली का निर्देश देने के लिए कोई आधार नहीं था। अधिनियम के तहत निर्देश की मांग 13 वर्ष पश्चात की गई है।

10 दूसरी और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि श्रम न्यायालय के समक्ष स्पष्ट तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी 240 दिन से अधिक समय तक कार्य कर चुका था।

11 उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार श्रम न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की बहाली के संबंध में पारित व उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किये गये आदेश में किसी प्रकर की त्रुटि नहीं है।

12 साथ ही यह तथ्य कि विलंबित कार्यवाही की गई थी, का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता है। स्वीकृत रुप से देरी की गई थी और श्रम न्यायालय में 13 साल बाद कार्यवाही की गई थी।

13 मामले की उक्त समस्त परिस्थितियों में बहाली के निर्देश को यथावत रखते हुए, हम यह निर्देश देते हैं कि श्रम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश जो उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट किया गया, जिसके द्वारा बकाया मजदूरी का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया, में आंशिक परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

14 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बकाया मजदूरी के भुगतान के संबंध में दिये गये निर्देश को अपास्त किया जाता है जबकि बहाली के आदेश को यथावत रखा जाता है।

15 उपर्युक्त हद तक बिना खर्चे के अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पवन कुमार कल्ला (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।